न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 145/2022
निर्णय दिनांक : 11.03.2024

1. श्रीमती माना देवी पत्नी स्व. श्री सुल्तान सिंह मीणा, आयु–77 वर्ष.
2. श्री शशांक मीणा पुत्र स्व. श्री सुनील सिंह मीणा, आयु–26 वर्ष जाति–मीणा, निवासीगण ओमेक्स, सिटी, माल की ढाणी, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर

प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. श्री भोलाराम मीणा पुत्र स्व. श्री श्रवण लाल जाति–मीणा, निवासी– ओमेक्स सिटी, माल की ढाणी, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर।
3. राकेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री सुल्तान सिंह मीणा जाति–मीणा, निवासी– ओमेक्स सिटी, माल की मणी, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी/ विपक्षी संख्या–3 के पिता श्री सुल्तान सिंह मीणा एवं अप्रार्थी / विपक्षी संख्या–2 सगे भाई हैं तथा कृषि भूमि खसरा न. 208 रकबा 2.2100 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/957 रकबा 0.0100 हैक्टयर किस्म गै.मु. चाह. खसरा न. 208/958 रकबा 0.0100 हैक्टयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा न. 208/987 रकबा 0.5700 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/988 रकचा 0.9700 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/989 रकबा 0.2700 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/991 रकबा 0.7400 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/992 रकबा 1.0400 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/993 रकबा 1.2100 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/994 रकबा 0.9900 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 209 रकबा 0.2400 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 209/990 रकबा 0.0900 हैक्टयर किस्म चाही–3 कुल खसरा कुल किता 12 कुल रकबा 8.3500 हैक्टयर [illegible] राजस्व ग्राम अवानिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:24:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पटवार हल्का अवानिया भू. अभि. नि. क्षेत्र– बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को आगे इस वाद पत्र में भूमि वादग्रस्त अंकित किया गया हैं। वाद पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त को श्री सुल्तान सिंह मीणा एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्री भोलाराम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र संयुक्त रूप से पूर्व खातेदार काश्तकार श्री रामजीवन पुत्र श्री गंगाराम मीणा से दिनांक 27.06.2005 को क्रय की थी जिसका विक्रय पत्र उप–पंजीयक कार्यालय सांगानेर द्वितिय के यहाँ दिनांक 27.06.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 8 में पृष्ठ संख्या 118 क्रम संख्या 2005001518 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 31 के पृष्ठ संख्या 135 से 141 पर चस्पा किया गया है। ततपश्चात उक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त का नामान्तरण स्व. श्री सुल्तान सिंह मीणा एवं प्रतिवादी संख्या–2 श्री भोलाराम के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हो गया इसप्रकार भूमि वादग्रस्त में श्री सुल्तान सिंह का अविभाजित 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का अविभाजित 1/2 हिस्सा दर्ज रिकोर्ड हुआ। खातेदार श्री सुल्तान सिंह का निधन दिनांक 14.06.2014 को हो गया। ततपश्चात श्री सुल्तान सिंह के विधिक उत्तराधिकारी उनकी पत्नी वादी संख्या–1 श्रीमती माना देवी, पुत्र प्रतिवादी संख्या–3 राकेश कुमार मीणा एवं वादी संख्या 2 के पिता स्व. सुनील सिंह मीणा (पुत्र) के नाम विरासतन नामान्तरण भरे जाने के लिए आवेदन किया गया जिस पर नामान्तरण संख्या 388/ विरासतन/दिनांक 07.11.2016 भरा जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया परन्तु उक्त नामान्तरण के दर्ज करते समय सहवन से वादी संख्या–1 माना देवी पत्नी सुल्तान सिंह के स्थान पर नाना देवी पत्नी सुल्तान सिंह एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम सुनील सिंह मीणा पुत्र सुल्तान सिंह के स्थान पर सुशील कुमार मीणा पुत्र सुल्तान सिंह मीणा दर्ज कर दिया गया जो भूलवश एवं टंकण की त्रुटि के कारण गलत दर्ज कर दिया गया तथा उसी के अनुसार वादीगण का गलत नाम ही जमाबन्दी में दर्ज हो गया। राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या–1 का एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम टंकण की त्रुटि के कारण गलत दर्ज हो गया है जिसकी शुद्वी (दुरूस्ती) किया जाकर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। वादीगण को अपने नाम गलत दर्ज होने की जानकारी तब हुई जब वादी संख्या–2 के पिताजी श्री सुशील कुमार मीणा (सुनील सिंह मीणा) का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु जमाबन्दी की प्रति दिनांक 16.11.2022 को प्राप्त की गयी।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर भूमि वादग्रस्त बाबत दर्ज नामान्तरण संख्या 388 / विरासत / दिनांक 07.11.2016 में टंकण की त्रुटि के कारण वादी संख्या–1 का नाम माना देवी के स्थान पर नाना देवी एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम सुनील सिंह मीणा के स्थान पर सुशील सिंह मीणा दर्ज रिकार्ड हो गया इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:24:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

नामान्तरण संख्या–388 / विरासत / दिनांक 07.11.2016 की शुद्धी / दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या–1 का नाम नाना देवी के स्थान पर माना देवी एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम सुशील सिंह मीणा के स्थान पर सुनील सिंह मीणा दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने के आदेश प्रतिवादी संख्या–1 को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर की ओर से पत्रावली में जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से पेश वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि वादग्रस्त बाबत दर्ज नामान्तरण संख्या 388 / विरासत / दिनांक 07.11.2016 में टंकण की त्रुटि के कारण वादी संख्या–1 का नाम माना देवी के स्थान पर नाना देवी एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम सुनील सिंह मीणा के स्थान पर सुशील सिंह मीणा दर्ज रिकार्ड हो गया इसलिए नामान्तरण संख्या–388 / विरासत / दिनांक 07.11.2016 की शुद्धी / दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या–1 का नाम नाना देवी के स्थान पर माना देवी एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम सुशील सिंह मीणा के स्थान पर सुनील सिंह मीणा दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने के आदेश प्रतिवादी संख्या–1 को दिया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दौराने पत्रावली अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम अवानिया, पटवार हल्का अवानिया भू. अभि. नि. क्षेत्र–बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थितकृषि भूमि खसरा न. 208 रकबा 2.2100 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208 / 957 रकबा 0.0100 हैक्टयर किस्म गै.मु. चाह. खसरा न. 208 / 958 रकबा 0.0100 हैक्टयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा न. 208 / 987 रकबा 0.5700 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208 / 988 रकचा 0.9700 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208 / 989 रकबा 0.2700 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208 / 991 रकबा 0.7400 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208 / 992 रकबा 0.0400 हैक्टयर किस्म चाही–3,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:24:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

खसरा न. 208/993 रकबा 1.2100 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 208/994 रकबा 0.9900 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 209 रकबा 0.2400 हैक्टयर किस्म चाही–3, खसरा न. 209/990 रकबा 0.0900 हैक्टयर किस्म चाही–3 कुल खसरा कुल किता 12 कुल रकबा 8.3500 हैक्टयर में नामान्तरण संख्या–388/विरासत/दिनांक 07.11.2016 की शुद्धी/दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या–1 का नाम नाना देवी के स्थान पर गाना देवी एवं वादी संख्या–2 के पिता का नाम सुशील सिंह मीणा के स्थान पर सुनील सिंह मीणा दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:24:47 IST
Reason: SelfAttested